न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/डिक्री/टीए/7265/2006/हनुमानगढ

1.विद्या देवी पुत्री पोलाराम पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी केरावाली, तहसील व जिला सिरसा

–अपीलान्ट

बनाम

1.रामकुमार
2.गंगाधर
3.कृष्णकुमार पिसरान गणपतराम जाति जाट निवासी फैफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोहर जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेन्टस्

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित –

श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता, अपीलान्ट
श्री अमृतपालसिंह, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस्

निर्णय

दिनांकः 25.01.2022

अपीलान्ट ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 91/2005 बउनवानी विद्या बनाम रामकुमार व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व) नोहर के न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्टस् के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 53 के अन्तर्गत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा फैफाना स्थित साबित खसरा नम्बर 447 रकबा 161.08बीघा जो एकीकरण में चक 4जेएसएन के प.न. 366/376(33) के किला नम्बर 3 ता 23, प.न. 367/376(34) के किला नम्बर 1 ता 3 व 8 ता 12, 20, प.न. 366/375(24) के किला नम्बर 16, 17, 18 व 23 ता 25, प.न. 364/376(31) के किला नम्बर 14 ता 17 व

25 एवं प.न. 365/376(32) के किला नम्बर 6 व 11ता 25 कुल 63बीघा एवं चक जेएनएस के प.न. 365/377(8) के किला नम्बर 1 ता 25 एवं प.न. 366/377(9) के किला नम्बर 1 ता 3 व 9 ता 12 कुल रकबा 32बीघा में परिवर्तित हुई। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 से 3 की पुश्तैनी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादिया का 1/2 हिस्सा है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी के दादा स्वर्गीय रामा के सम्वत् 2025 में स्वर्गवास होने के बाद समस्त विवादित भूमि को खिलाफ कानूनी अकेले अपनी खातेदारी में दर्ज करवा ली। अतः वादी को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा विवादित आराजी का बंटवारा किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या– 1 से 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित आठ तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष की साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 16–11–2005 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी अपीलान्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–10–2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित सम्पत्ति रामा के नाम थी। रामा के पेमा व गणपत दो पुत्र हुए। पेमा के पोला और पोला के पुत्री वादिनी विद्या है। सम्वत् 2014 में उक्त जमीन रामा के नाम थी जो सीधे ही गणपत के नाम हो गयी जबकि रामा का सम्वत् 2025 में देहान्त हुआ था। विचारण न्यायालय द्वारा वादिया को पोला की पुत्री ही नहीं माना और दावा दिनांक 16–11–2005 को खारिज कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उसकी अपील दिनांक 16–10–2006 को खारिज कर दी। सम्वत् 2025 में रामा का देहान्त हुआ इससे पहले वह मूल खातेदार था। वादिया की माता उमा देवी थी, जो पोला की पत्नी थी और उसके नुत्फे से ही वादिया पैदा हुई थी। अमीलाल की जायन्दा पुत्री नहीं है वादिया स्कूल में पढी है जिसका टीसी प्रमाणपत्र भी है जिसमें उसके पिता का नाम पोलाराम लिखा हुआ है। प्रदर्श पी–10 में अमीलाल के वारिस के नाम है जिसमें वादिया का नाम नहीं है। यदि वह अमीलाल की पुत्री होती तो उसका भी नाम होता। वादिया की माता उमादेवी साक्ष्य में उपस्थित हुई है और जिसने भी विद्या को पोला की सन्तान बताया है। विचारण न्यायालय द्वारा पोलाराम की मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर दावा

खारिज किया है। प्रदर्श पी–11 रिकार्ड आफ राईटस है जबकि पुत्री को जन्म से अधिकार है। स्वामित्व व प्रतिकूल कब्जे के तर्क एक साथ नहीं चल सकते। ना ही प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी दी जा सकती है। वादिया का केस तो विरासत के आधार पर है इसलिए उसको 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वास्तविक कब्जा दिलाया जावे। अपने कथनों के समर्थन में योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. 2018 आरआरटी (2) पेज 976
2. 2010 आरबीजे (17) पेज 281
3. 2012 आरआरटी (2) पेज 915
4. 2008 आरआरटी (1) पेज 131
5. 1995 आरआरटी पेज 113
6. 1995 आरआरडी पेज 556
7. 1997 आरआरडी पेज 427
8. 2006 आरआरटी (2) पेज 1154
9. 2014–15 (Supp-)आरआरटी पेज 417

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि रामा का देहान्त सम्वत् 2016 में हुआ है। वादी ने सम्वत् 2025 तक के दस्तावेज पेश नहीं किये। मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श डी–8ए के अनुसार 10–4–1948 को पोला का देहान्त हुआ है और पंचायत ने जो प्रमाणपत्र दिया है वह वादी के शपथपत्र के आधार पर दिया है, जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। प्रदर्श पी–10 अमीलाल के सम्बन्ध में है। प्रदर्श–पी–11 एसआर रजिस्टर आदि है जो साबित नहीं हुए है। वादिया का कोई वोटर कार्ड या राशनकार्ड भी पेश नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें कानूनी बिन्दू क्या है, यह कुछ नहीं बताया है। यदि वादिया अपने आप को पोला की पुत्री बताती है तो वह उत्तराधिकार के तहत सिविल कोर्ट से डिक्री लावे। उत्तराधिकार सन् 1956 में लागू हुआ है जबकि रामा तो पहले ही फौत हो गया था और पोला तो उससे पहले ही फौत हो गया था तो वादिया को कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं होते है। अतः वादी अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि रामा के दो पुत्र पेमा व गणपत है और पेमा के फौत होने से पहले पोला फौत हो गया और पोला की पत्नी उमा ने अमीलाल नामक व्यक्ति से नाता विवाह कर लिया लेकिन इन सभी तथ्यों के सम्बन्ध में अभिलेख पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य

वादिया की ओर से पेश नही हुई है कि पोला कब फौत हुआ, उसकी शादी कब हुई और नाता कब हुआ और विद्या देवी वादिनी की जन्म तिथि क्या है? विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की साक्ष्य का विस्तृत विवेचन करते हुए वादिनी को मृतक पोला की पुत्री नहीं माना और उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व ही सम्वत् 2005 में उसका फौत हो जाना मानते हुए वादी का वाद खारिज किया गया। वादिनी ने उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि विस्तृत आदेश में करते हुए अपील को खारिज किया गया है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि प्रदर्श–10 जमाबन्दी मीरका की है जिसमें अमीलाल के वारिसान का नाम दर्शाया गया है लेकिन उसमें वादिनी विद्यादेवी का नाम नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि यदि वादिनी अमीलाल की पुत्री होती तो उसमें उसका भी नाम दर्ज होता। वादिनी की ओर से उमादेवी ने अपने बयानों में पोला से सम्वत् 2007 में शादी होना और सबसे बडी सन्तान पोलाराम का होना बताया है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से पोलाराम के विवाह की बही की लिखतम प्रदर्श–डी–6 पेश की है जिसमें सम्वत् 2004 में विवाह होना और लोगों को निमत्रंण (न्योता) देने का उल्लेख है। इस साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं है। मौखिक साक्ष्य में वादिनी पी.डब्ल्यू.–1 ने कथन किया है कि उसका पिता सम्वत् 2010 में फौत हुआ था, जो पोलाराम था। उस समय उसकी उम्र ढेड–दो साल थी और नाना नानी ने पाला था। स्कूल में पढाया था। मेरे दादा रामा थे जिनके दो लडके थे मेरे दादा के करीब 100बीघा जमीन थी जिसमें से उसका आधा हिस्सा है और इस जमीन पर मैं काश्त करती हूॅ लेकिन जिरह में यह कथन किया है कि जमीन कहां है, इसके पडौस क्या है, इसका मुझे पता नहीं है और यह भी कथन किया कि मैने जो बयान दिये है वो नाना के कहे अनुसार ही बताये है। मुझे ध्यान नहीं कि जमीन व खेत के पडौसी कौन है। गणपत की लडकियों को वह नहीं जानती। उसकी शादी 70–71 में हुई थी। यदि वादिनी अपने दादा के घर रहती तो चाचा गणपत की सन्तान को जानती, पर उसे केवल दो लडकों की जानकारी है अन्य को नहीं जानती, ना ही बेटियें को जानती है। इस गवाह के बयान स्वयं के ज्ञान के आधार पर नहीं है बल्कि नाना के बताये अनुसार है। उमादेवी ने अपने बयानों में विद्या देवी को पोलाराम की पुत्री बताया है लेकिन पी.डब्ल्यू–3 उमा के भाई बगडावत ने जिरह में कथन किया कि उमा देवी अमीलाल के नाते गयी तब उसके कोई औलाद नहीं थी, सारे बच्चे इसी के है। इस गवाह ने आगे यह भी कथन किया कि मैने जो बात बताई है वह याद है उमा का सगा भाई हूॅ बात याद तो होनी ही है। अर्थात् इस गवाह के कथन के अनुसार पोला के नुत्फे से उमा के कोई सन्तान ही नहीं हुई। इसी स्थिति में वादिया ओर उसकी माता के कथन मिथ्या हो जाते है। बचाव साक्ष्य में प्रतिवादी रामकुमार डी.

डब्ल्यू.–1 ने कथन किया कि पोलाराम के मरने के 10 महीने पहले उसी शादी हुई थी उसी शादी का न्योता दिया था, वह बही में दर्ज है, जो प्रदर्श–डी–6 है और मुकलावा होने से पहले ही वह फौत हो गया था। मुकलावा शादी से एक वर्ष पहले नहीं हो सकता। पोलाराम सम्वत् 2005 में फौत हुआ जिसका प्रमाणपत्र प्रदर्श–डी–8 है। पोलाराम के मरने के सम्बन्ध में डी.डब्ल्यू–2 दीपाराम ने कथन किया कि पोलाराम का विवाह सम्वत् 2004 में हुआ था और मुकलावा होने से पहले ही सम्वत् 2005 में वह फौत हो गया था। डी.डब्ल्यू–3 बनवारीलाल ने कथन किया कि पोलाराम की शादी के करीब 5–7 माह बाद ही मर गया था। मृत्यु के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र प्रदर्श–डी–8 जिसमें 10–4–1948 को फौत होना अंकित है, जो सम्वत् 2005 होते है। वादिया ने अपना विवाह सम्वत् 2007 में होना बताया है लेकिन इसका कोई समर्थन नहीं है।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि विद्यादेवी को उसके दादा ने स्कुल में पढाया था जिसका एसआर रजिस्टर प्रदर्श–पी–11 है और जिसमें पिता का नाम पोलाराम लिखा हुआ है। इस दस्तावेज के खण्डन में प्रदर्श–डी–1 टी.सी. प्रतिवादी की ओर से पेश की गयी है जिसके गवाह डी. डब्ल्यू–4 दिलीप सिंह ने जिरह में स्वीकार किया है कि टी.सी. क्रम संख्या 104 पर है वह सही है पिता का नाम दोलाराम अंकित है, पोलाराम नहीं है। अर्थात् प्रदर्श–पी–11 के खण्डन में प्रदर्श–डी–1 टी.सी. प्रमाणपत्र है और प्रतिवादीगण के गवाह का भी कथन है इसलिए प्रदर्श–11 के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वादिया पोलाराम की पुत्री है।

10. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का एक तर्क यह भी है कि प्रदर्श–पी–10 अमीलाल के वारिस का नामान्तरकरण है जिसमें वादिया का नाम नहीं है यदि वह अमीलाल की सन्तान होती तो उसका भी नाम होता लेकिन उक्त तर्क भारपूर्ण नहीं है। वादिया को सकारात्मक साक्ष्य से यह साबित करना है कि वह पोलाराम की पुत्री है और इस बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है और मौखिक साक्ष्य के अनुसार वादिया का जन्म होने से पहले ही तथा उमादेवी का मुकलावा होने से पहले ही पोलाराम फौत हो गया। मुकलावा होने ओर मुकलावा के बाद पोलाराम के साथ रहने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई, उससे पहले ही पोलाराम का देहान्त हो गया। प्रदर्श–4 प्रमाणपत्र भी पेश किया है जिसमे वादिया को पोलाराम की पुत्री बताया है लेकिन उक्त प्रमाणपत्र वादिया के शपथपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जिसका कानूनी महत्व नहीं है और शपथपत्र के आधार पर जारी प्रमाणपत्र से किसी के वारिस तय नहीं किये जा सकते है। वारिस प्रमाणपत्र के लिए सक्षम न्यायालय का आदेश प्राप्त करना आवश्यक है जब ही उसे वैध उत्तराधिकारी माना जा सकता है।

11. इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादिया को पोलाराम की पुत्री नहीं मानने ओर पोलाराम का विवाह सम्वत् 2004 में होने और

उसकी मृत्यु सम्वत् 2005 में होना ओर पोलाराम की मृत्यु के पश्चात् उमादेवी का अपने पिता के घर चले जाना और वर्ष 1950 सम्वत् 2007 में अमीलाल से दूसरी शादी नाता करके मीरका चले जाने और उमादेवी का पोलाराम से कोई सन्तान नहीं होने का समवर्ती निष्कर्ष दिये है, जिसमें कोई अवैधता नहीं है। विचारण न्यायालय ने रामा की मृत्यु भी सम्वत् 2016 में होना और उसके एक मात्र वारिस गणपत के होने के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण उसके नाम तस्दीक होने का जो निष्कर्ष दिया है और इसी निष्कर्ष की प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए पुष्टि की है। अपीलार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करते है क्योंकि वादिया मृतक पोला की पुत्री ही साबित नहीं हुई है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अपील में कोई सार नहीं और अपीलार्थी का कोई भी हक नहीं बनता है।

12. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–10–2006 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य